सामूहिक शिलान्यास समारोह से पहले निवेशकों को सहूलियतों की सौगात

कई विभागों और प्राधिकरणों की 36 और सेवाएं निवेश मित्र पोर्टल से जुड़ेंगी, अब पोर्टल पर मिलेंगी 458 तरह की सेवाएं

अमर उजाला ब्यूरो

■ पेट्रोल पंप खोलने की एनओसी लेने व भूमि आवंटन में होगी आसानी

लखनऊ। सरकार निवेश परियोजनाओं के सामूहिक शिलान्यास समारोह (ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी) से पहले निवेशकों को सहूलियतों की सौगात देने की तैयारी कर रही है। कई विभागों व औद्योगिक विकास प्राधिकरणों की 36 और सेवाएं निवेश मित्र पोर्टल से जोड़ी जाएंगी। इससे पेट्रोल पंप खोलने की एनओसी, बीजों व उर्वरकों के विक्रय व भंडारण के लाइसेंस, निवेशकों को भूमि की आवश्यकता व उसमें बदलाव से जुड़ी कार्यवाही आसान होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इस संबंध में उनके कार्यालय ने कार्यवाही शुरू कर दी है।

प्रदेश में कारोबारी सहूलियतों के लिए निवेश से जुड़े सभी विभागों की सेवाओं को निवेश मित्र (सिंगल विंडो पोर्टल) से जोड़ा जा रहा है। वर्तमान में 422 सेवाएं इस पोर्टल पर हैं। पर कई विभागों व प्राधिकरणों की सेवाएं विभागीय पोर्टल पर ही हैं, ये निवेश मित्र से नहीं जुड़ी हैं। कई सेवाएं मैनुअल दी जा रही हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय ने ऐसी सेवाओं को निवेश मित्र पोर्टल से जोड़ने की तैयारी शुरू की है। यह काम पूरा होने पर निवेशकों को 458 सेवाएं एक ही पोर्टल पर मिल सकेंगी। शासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ये 36 सेवाएं कृषि, खाद्य एवं रसद, गीडा, यूपीडा, यीडा, इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप ग्रेटर नोएडा, नोएडा व सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण से जुड़ी हैं। सीएम के अपर मुख्य सचिव एसपी गोयल इस संबंध में 25 जुलाई को एक बैठक करेंगे। इसमें आगे की कार्यवाही पर निर्णय होगा।

निवेश मित्र पर सेवाएं जुड़ने के फायदे

- निवेशक को अलग-अलग पोर्टल पर आवेदन के झंझट से राहत।
- सभी तरह के आवेदन, अनापत्ति और मंजूरी एक ही स्थान से ऑनलाइन। इसकी जानकारी व शिकायत भी कर सकेंगे।

विभिन्न प्राधिकरणों की ये सेवाएं जुड़ेंगी

- खाद्य एवं रसद विभाग से पेट्रोलियम व डीजल रिटेल आउटलेट की स्थापना के लिए अनापत्ति देने।
- कृषि विभाग से बीजों व उर्वरकों के विक्रय व भंडारण का लाइसेंस देने।
- प्राधिकरणों में भवन योजना के अनुमोदन, बकाया भुगतान व आरक्षण राशि का भुगतान।
- परियोजना की स्थापना के लिए समय विस्तार व भूखंड के हस्तांतरण का आवेदन।
- भूखंड को उप किराए पर देने के लिए आवेदन।
- एक ही परिसर के उपयोग के भीतर अतिरिक्त इकाई की स्थापना।
- उत्पादन शुरू करने के लिए प्रमाण पत्र जारी करने का आवेदन।
- वित्तीय संस्थान के पक्ष में गिरवी रखने की अनुमति के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र व पूर्ण भुगतान के बाद अदेयता प्रमाण पत्र का आवेदन।
- भूखंड वापस करने, भूखंडों के एकीकरण व भूखंडों के उप विभाजन के आवेदन।
- आवास विभाग में सह आवंटन के लिए अनुमति व रजिस्ट्री।
- अदेयता प्रमाण पत्र व विभिन्न कार्यों के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी की स्वीकृति व भूमि आवंटन।